<u>न्यायालय–संध्या देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला–दतिया (म0प्र0)</u>

(निर्णय दिनांक–08.12.2025)

Registration No- RCT/161/2020
Filing No - 987/2020
C.N.R No- MP3201001162/2020
Filing Date-13-03-2020

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध विवरण और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र जिगना जिला दतिया (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	**01**–शैलेन्द्र सिंह परमार पुत्र रघुवर सिंह परमार उम्र 27 वर्ष **(फरार)** **02**–विक्रमराजा परमार पुत्र रघुवर सिंह परमार उम्र 28 वर्ष सहनिवासीगण असनई मुहल्ला उदगुवां थाना जिगना जिला दतिया म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रमाशंकर राजपूत अधिवक्ता

अपराध की तिथि	*10-02-2020*
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	*11-02-2020*
आरोप पत्र की तिथि	*13-03-2020*
आरोपों के विरचना की तिथि	*05-02-2021*
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	*05-02-2021*
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	*27-11-2025*
निर्णय की तिथि	*08-12-2025*
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

पुलिस थाना–जिगना जिला–दतिया के अपराध क्रमांक–19/2020 अपराध अंतर्गत धारा–294, 323, 506 एवं 34 भा.द.वि. से उद्भूत प्रकरण

01– अभियुक्त विक्रमराजा परमार पर भा.द.सं की धारा–294, 323/34 एवं 506 भाग–2 भादसं के तहत इस आशय का आरोप है कि दिनांक 10.02.2020 को रात के करीब 11 बजे अभियुक्त विक्रम के घर के बाहर असनई उदगवां थाना जिगना जिला दतिया में सूचनाकर्ता संजय सिंह ठाकुर को मॉ–बहन की अश्लील गाली उच्चारित करते हुए उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत संजय सिंह ठाकुर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ डंडों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं संजय सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह परमार के विरूद्ध दिनांक 25.11.2025 को स्थाई वांरट जारी करते हुए उसको फरार घोषित किया गया है।

03– अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता को दिनांक 10.02.2020 को रात के 10 बजे अभियुक्त विक्रम सिंह ठाकुर का फोन आया और उसने सूचनाकर्ता संजय सिंह ठाकुर को पार्टी करने के लिए बुलाया और जब सूचनाकर्ता अभियुक्त विक्रम के घर में पहुंचा तो उन्होनें फिर घर के बाहर बैठकर शराब पीकर पार्टी की तो इसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर मुंहवाद हो गया कि सूचनाकर्ता ने अभियुक्त विक्रम के रिश्तेदार का मर्डर करा दिया था और जब सूचनाकर्ता ने मर्डर कराने से इन्कार किया तो अभियुक्त विक्रम ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दी और जब

सूचनाकर्ता ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त विक्रम ने उसके साथ डंडे से मारपीट की। इतने में हल्ला सुनकर अभियुक्त शैलेन्द्र परमार आ गया, जिसने भी आहत संजय सिंह ठाकुर के साथ मारपीट की और जब सूचनाकर्ता चिल्लाया तो रोड से निकल रहे राहगीरों ने उसे बचाया। उक्त दोनों अभियुक्त ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना के आधार पर सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक–19/2020 अंतर्गत धारा–294, 323, 506 एवं 34 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौराने साक्षीगण के कथन, नक्शमौका एवं आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 13.03.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रतिरक्षा चाही। दंप्रसं0 की धारा 313 के अधीन किये गये अपने परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं इस मामले में झूंठा फंसाया जाना बताया है।

05— प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दु है–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.02.2020 को रात के करीब 11 बजे अभियुक्त विक्रम के घर के बाहर असनई उदगवां थाना जिगना जिला दतिया में सूचनाकर्ता संजय सिंह ठाकुर को मॉ–बहन की अश्लील गाली उच्चारित करते हुए उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत संजय सिंह ठाकुर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ डंडों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?

(3) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर संजय सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(4) यदि हां तो दण्ड।

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

<u>अवधारणीय बिन्दु क्रमांक—02</u>

06— जीतेन्द्र ठाकुर अ0सा0—1 ने यह बताया है कि वह अभियुक्तगण एवं सूचनाकर्ता को जानता है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि सूचनाकर्ता न्यायालयीन कथन दिनांक 17.10.2022 से दो—तीन साल पहले रात के 10 से 11 बजे के मध्य शराब पीकर मोटरसाइकिल से गिर गया था और अभियुक्तगण ने सूचनाकर्ता के साथ किसी प्रकार की मारपीट, गाली—गलौंच व झगडा नहीं किया था और पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। इसी साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पुलिस को प्र.पी—01 के कथन देने से इन्कार किया है और प्रतिपरीक्षण दौरान यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण एवं सूचनाकर्ता के मध्य पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिस कारण से सूचनाकर्ता ने अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

07— शिवाजीराजा परमार अ0सा0—2 का कहना है कि वह अभियुक्तगण एवं सूचनाकर्ता को जानता है और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी और न ही कोई वस्तु जप्त की थी। इसी साक्षी ने प्र.पी—02 लगायत 05 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्तगण को

गिरफतार कर उनसे बांस के डंडे जप्त कर प्र.पी–02 व 03 का गिरफतारी पत्रक व प्र.पी–04 व 05 का जप्ती पत्रक बनाया था। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण दौरान यह स्वीकार किया है कि प्र.पी–02 लगायत 05 के दस्तावेजों के खाली कागजों पर पुलिस ने हस्ताक्षर करा लिये थे और उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

08– डॉ. अनूप प्रधान अ0सा0–3 का कहना है कि दिनांक 11.02. 2020 को वह जिला चिकित्सालय दतिया में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था एवं उक्त दिनांक को आरक्षक कमांक–54 दीपेश थाना जिगना द्व ारा उसके समक्ष संजय सिंह ठाकुर पिता बृजभान सिंह ठाकुर को मेडीकल परीक्षण हेतु लाया गया था एवं उक्त आहत का मेडीकल परीक्षण किये जाने पर उसके सिर में फ्रंटल भाग के उपरी भाग पर दो गुणा एक से.मी आकार की खरोंच एवं दाहिने हाथ पर दो से.मी गुणा आधा से.मी आकार की खरोंच तथा दाहिनी हथेली में सूजन होना पायी गई थी। साक्षी आगे यह भी बताता है कि आहत द्वारा बांयी कोहनी, बांये व दांये घुटने में दर्द की शिकायत की गई थी। साक्षी आगे यह भी बताता है कि आहत के स्कोपुला भाग पर पांच गुणा दो से.मी आकार की नीलगू चोट थी। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त चोटें परीक्षण के 08 घंटे के भीतर आना प्रतीत हो रही थी, जो कि सख्त व भौथरी वस्तु से कारित किया जाना संभावित थी। साक्षी यह भी बताता है कि उसके द्वारा चोट कमांक–2 व 3 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी, इसके आलावा अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थी। साक्षी आगे यह भी बताता है कि आहत के संबंध में दिया गया अभिमत प्र.पी–06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कहना है कि आहत के एक्सरे में किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया

था जिस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी–07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09– उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि यदि आहत सख्त सतह पर मोटरसाइकिल से गिर जाये तो उक्त प्रकार की चोट संभावित है तथा चोटों की समयावधि के बारे में चोटों के रंग से समयावधि का आंकलन किया था जिसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि चोट क्रमांक–4 लगायत 6 दर्शयमान चोट नहीं थी।

10– कोक सिंह रावत अ0सा0–4 का कहना है कि दिनांक 11.02.2020 को वह थाना जिगना में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ था एवं उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली–गलौंच करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक–19/20 अंतर्गत धारा–294, 323, 506बी एवं 34 भा.द.सं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी, जो कि प्र.पी–08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दौरान विवेचना दिनांक 11.02.2020 को सूचनाकर्ता की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी–09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने उक्त दिनांक को ही साक्षी जीतेन्द्र एवं संजय के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के पश्चात् अभियुक्तगण से साक्षीगण के समक्ष एक–एक बांस का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी–04 व 05 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि अभियुक्तगण को साक्षीगण के

समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी–02 व 03 तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

11– उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण दौरान यह स्वीकार किया है कि सूचनाकर्ता ने उसे शराब पीने वाली बात बताई थी। इसी साक्षी ने आगे यह अस्वीकार किया है कि सूचनाकर्ता शराब पीये हुए था जिस कारण उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और सूचनाकर्ता शराब पीकर स्वयं गिर गया था और उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट नहीं लेखबद्ध कराई गई थी। इसी साक्षी ने आगे यह अस्वीकार किया है कि सूचनाकर्ता मौके पर गया ही नहीं था और साक्षी द्वारा अभियुक्तगण से डंडे से जप्त नहीं किये गये थे।

12– संजय सिंह अ0सा0–05 का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानता है, अभियुक्तगण दूसरी पार्टी के रिश्तेदार लगते है। इसी साक्षी ने यह बताया है कि घटना दिंनाक 10.02.2020 को रात के समय अभियुक्त विक्रम के मकान के बाहर की है। साक्षी आगे यह बताता है कि पिछोर थाने में उसके उपर हत्या का मुकदमा था जिसमें जांच चल रही है, जिसकी सी. डी.आर निकलवाने के लिए उसे ग्वालियर जाना था, जिसके संबंध में अभियुक्तगण ने उसे बुलाकर पकड लिया और अभियुक्त विक्रम सिंह पिस्टल की बट से उसके सिर पर मारा जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा था। साक्षी आगे यह बताता है कि अभियुक्त विक्रम ने उसके सिर पर तीन बार पिस्टल का बट मारा था। साक्षी आगे यह भी बताता है कि अभियुक्त शैलेन्द्र ने उसके साथ लाठी–डंडों से शरीर के जगह–जगह पर मारा जिससे साक्षी के शरीर में जगह–जगह पर चोट आई थी। इसी साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण के साथ उनकी पार्टी का भगवत आ गया था जिसने यह कहा था कि गोली मार दो, तब अभियुक्त विक्रम ने कहा था

कि यदि साक्षी को गोली मारेंगे तो फंसा जायेंगे, इसके पश्चात् अभियुक्त विक्रम ने यह कहा था कि साक्षी को मिलिस्ट्री की डांग में ले चलों वहीं पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि उक्त घटना पर उदगंवा पुलिस आ गई थी और पुलिस वाले उसे थाने लेकर गये थे और अभियुक्तगण भाग गये थे। साक्षी आगे यह भी बताता है कि अभियुक्तगण ने उसकी सोने की अंगूठी, ए.टी.एम व पर्स में रखे 06–07 हजार रूपये नगद ले लिये थे।

13— उक्त साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उक्त घटना रात्रि की थी जिस कारण सुबह के समय पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था और उसने थाने में प्र.पी–8 की रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे यह भी बताता है कि पुलिस उसे घटना स्थल पर नहीं लेकर गई थी। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्र.पी–09 का नक्शा मौका बनाया था या नहीं, परन्तु प्र.पी–09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे। इसी साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि पुलिस उसे घटना स्थल पर ले गई थी और उसकी निशा देही पर प्र.पी–09 का नक्शा मौका बनाया था।

14— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण दौरान इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि विक्रम ने उसे फोन नहीं लगाया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखवायाथा कि वह शराब पार्टी कर रहा था और पार्टी के दौरान गिर गया

था जिस कारण उसे चोट आई थी। इसी साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि उसकी अभियुक्त विक्रम के रिश्तेदार से पुरानी रंजिश चली आ रही है और प्र.पी–8 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गांव के 15–20 लोग मौके पर आ गये थे। इसी साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एफ.आई.आर में उसने यह लेख नहीं कराया है कि अभियुक्त विक्रम ने उसके सिर पर तीन बार पिस्टल की बट से मारा था जिससे उसके सिर पर से खून निकल रहा था, जिस पर साक्षी का कहना है कि उसे ज्यादा चोट आ गई थी जिस कारण से वह लेख नहीं करा पाया था। इसी साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने एफ.आई.आर लेख नहीं कराइ है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी और उसने पुलिस के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी आगे यह भी अस्वीकार किया है कि रंजिश्वंश उसने झूठी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी और मोटरसाइकिल से गिर जाने से उसे चोट आई थी।

15– घटना के संबंध में जीतेन्द्र ठाकुर एवं शिवाजी अ0सा0–2 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त साक्षियों द्वारा विरोधाभाषी कथन किये गये है जिस कारण से उनकी साक्ष्य से घटना प्रमाणित नहीं होती है। जहां तक आहत संजय सिंह अ0सा0–5 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने यद्यपि मुख्यपरीक्षण में घटना दिनांक व समय प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–8 के अनुसार बताया है, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने संपूर्ण साक्ष्य दौरान अभियुक्त विक्रम द्वारा पिस्टल की बट से मारपीट किये जाने के कथन किये है, साथ ही प्रतिपरीक्षण की कंडिका–05 में यह बताया है कि उसने पिस्टल से मारपीट किये जाने का इसलिए नहीं बताया था कि क्योंकि उसकी ज्यादा मारपीट हो गई थी। उक्त कथनों के परिपेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–8 का अवलोकन किया जाये तो सूचनाकर्ता द्वारा अभियुक्त

विक्रम द्वारा डंडे से मारपीट किये जाने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, परन्तु संपूर्ण न्यायालयीन कथन दौरान साक्षी ने कहीं भी डंडे से मारपीट किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। साथ ही उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पिस्टल के बट से मारपीट किये जाने वाली बात लेख न कराये जाने का कारण बताया गया है वह संतोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने वाली वस्तु के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये है, जिस कारण से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त विक्रम ने किसी वस्तु से उसके साथ मारपीट की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त विक्रम द्वारा उक्त साक्षी के साथ मारपीट किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप विचारणीय बिन्दु कमांक–2 **''नासाबित''** पाया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु कमांक–01</u>

16– संजय सिंह ठाकुर अ0सा0–5 ने अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त विक्रम ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियॉ दी थी, परन्तु उक्त साक्षी ने यह नहीं बताया है कि कौन सी गालियां दी थी अर्थात कौन से विनिर्दिष्ट शब्द उच्चारित किए थे यह न्यायालय के समक्ष नहीं बताया है। ऐसे में अभियुक्त विक्रम के संबंध में विनिर्दिष्ट शब्दों के अभाव में यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि धारा 294 भादसं0 के आवश्यक घटक पूर्ण होते हैं अथवा नहीं। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त विक्रम द्वारा संजय सिंह ठाकुर अ0सा0–5 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया था। परिणाम स्वरूप विचारणीय बिन्दु कमांक–1 **''नासाबित''** पाया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक–03</u>

17– मृत्यु कारित करने की धमकी के वास्तविक निष्पादन का भय शिकायतकर्ता व अन्य साक्षियों को होना आवश्यक है। संजय सिंह ठाकुर अ0सा0–5 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त विक्रम ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। उक्त कथन के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो दर्शित है कि घटना के अगले दिन अभियुक्त विक्रम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–8 दर्ज कराई गई थी, जिससे यह समाधान है कि अभियुक्त विक्रम द्वारा जान से मारने की धमकी से संजय सिंह ठाकुर अ0सा0–5 को कोई भी संत्रास कारित नहीं हुआ था और न्यायालयीन कथन देने तक अभियुक्त विक्रम द्वारा दी गई धमकी के वास्तविक निष्पादन का भय रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। ऐसे में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त विक्रम ने संजय सिंह ठाकुर अ0सा0–5 को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित किया था। परिणाम स्वरूप विचारणीय बिन्दु क्रमांक–3 **''नासाबित''** पाया जाता है।

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक–04</u>

18– उपरोक्त समस्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त विक्रम ने दिनांक 10.02.2020 को रात के करीब 11 बजे अभियुक्त विक्रम के घर के बाहर असनई उदगवां थाना जिगना जिला दतिया में सूचनाकर्ता संजय सिंह ठाकुर को मॉ–बहन की अश्लील गाली उच्चारित करते हुए उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत संजय सिंह ठाकुर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं

उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ डंडों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं संजय सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त विक्रम राजा परमार को **धारा–294, 323/34 एवं 506 भाग–2** भादसं के संबंध में **दोषमुक्त** किया जाता है।

19– अभियुक्त विक्रम राजा परमार के जमानत मुचलके भारमुक्त एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

20– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह परमार के निर्णय के समय किया जायेगा।

21– अभियुक्त विक्रम राजा परमार प्रारंभ से आज दिनांक तक एक भी दिन अभिरक्षा में नहीं रहा है। तद्नुसार दंप्रसं. की धारा 428 के अंतर्गत उक्त आशय का प्रमाण पत्र तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

दिनांकः–08.12.2025
स्थानः–दतिया म0प्र0

Sd/-
(संध्या देवेश मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–दतिया म0प्र0

SANDHYA MISHRA
Digitally signed by SANDHYA MISHRA
Date: 2025.12.08 17:33:33 +1100

परिशिष्ट–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण

							के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
पुरूष	विक्रम राजा परमार	11.02.20	13.03.20	धारा—294, 323 / 34 एवं 506 भाग—2 भा.द.सं	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 01	जीतेन्द्र सिंह ठाकुर	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 02	शिवाजीराजा परमार	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 03	डॉ. अनूपप्रधान	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा. 04	कोक सिंह	कायमीकर्ता एवं अनुसंधान साक्षी
अ.सा. 05	संजय सिंह ठाकुर	सूचनाकर्ता / आहत साक्षी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :—

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 01 / अ.सा. 01	पुलिस कथन
2	प्रदर्श पी. 02 व 03 / अ.सा. 02	गिरफतारी पत्रक
3	प्रदर्श पी. 04 व 05 / अ.सा. 02	जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी. 06 / अ.सा. 03	एम.एल.सी रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी. 07 / अ.सा. 03	एक्सरे रिपोर्ट

6	प्रदर्श पी. 08 /अ.सा. 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी. 09 /अ.सा. 04	नक्शा मौका

दिनांकः— 08.12.2025
स्थानः—दतिया म0प्र0

Sd/-
(संध्या देवेश मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला—दतिया म0प्र0

SANDHYA MISHRA
Digitally signed by SANDHYA MISHRA
Date: 2025.12.08 17:33:40 +1100